

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बमुकाम नावां जिला डीडवाना-कुचामन

कमल कुमार बिजारणियां

बनाम

ईश्वरलाल पुत्र लादूराम

सा. मिण्डा तहसील नावां

निवासी-मिण्डा, तहसील नावां

किस्म कुमदमां : वाद धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमां नम्बर 282 / 2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 02.09.2024 | <p>यह वाद पत्र वादी ने जरिये अधिवक्ता कन्हैयालाल शर्मा के अधीन धारा 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन जवाबदेही तलब हो मिसल वास्ते तलबी दिनांक 14.10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> | |
| 14/10/24 | <p>घनावली पेश हुई बार एसोशियेशन ने कन्डोलोपस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया। घनावली इलतवा होकर दिनांक 18/10/24 को पेश हो।</p> | |
| 18/10/24 | <p>वकील वादी गैर हाजिर। वकील वादी के झावाजे लगाई गई। परन्तु वकील वादी व पत्नकारान् गैर हाजिर रहे। तारीख फर्री सूचना के बावजूद वकील वादी के गैर हाजिर रहने के झावाजे लाने पर हाजिर नहीं जाने से वकील वादी को वाद इदम हाजरीन इदम खेरी में खारिज किया जाता है। मिसल इफने नम्बर से का होकर दाखिल इफतर है।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)